


24/11/2025 पत्रां पेशा दृष्टि बहुरूपी बहस प्रार्थना-पत्र शास्त्रिक
द्वारा 1336 LR मीट के तहत पुनी गरी प्रार्थना
वकील के कथन रहे कि विवाहित आराजी हाल
खसरा नं. 1333 रकबा 0.32 हेक्टे एवं 1336 रकबा
0.25 हेक्टे, खसरा नं. 1334/0.43, खसरा नं. 1335
रकबा 0.30 हेक्टे. एवं खसरा नं. 1337 रकबा 0.96
हेक्टे. वाले ग्राम बहामधी में स्थित है। प्रार्थना
वकील के द्वारा दोबारा बहस प्रार्थना-पत्र में अंतिम
छ तर्कों को ही पुनः दोहराया गया है। सोक्षिप्त
में प्रार्थना वकील का कथन है कि प्रार्थना
के पिता दिगम्बर सिंह पुत्र नरथी जाति जाट


अखण्ड अतिथारी
बल्लभ (भगवत)

निवासी ग्राम सहना ने अरिफे रजिस्टर्ड
वयनामा रत्न पुत्र रामरत्न आर्ति भादूजा
नि. ग्राम बहामनी से खसरा नं. 622
रकबा 8 बी. 18. बिस्वा में से 1/2 हिस्सा
खरीद लिया था। तथा वक्त वयनामा से
ही अधीनता के पिता 1/2 हिस्सा यानि
4 बी. 9 बिस्वा पर काबिज होकर कब्जा
कर रहे हैं। गत खसरा नं. 622 में से
1/2 हिस्सा यानि 4 बीघा 9 बिस्वा
अद्वीर बिदे पुत्र मनुका बिदे ने अरिफे
रजि. वयनामा खरीद लिया था।
मौका व रिकॉर्ड में गत खसरा
नं. 1334 रकबा 0.43. 1335 रकबा
0.30 पर कुल 71 एकर रकबा
पर कब्जा कर रहे हैं। परन्तु
हाल रिकॉर्ड में रकबा 71 के स्थान
पर 73 एकर यानि 2 एकर रकबा
गत स्प. ले रिकॉर्ड में दर्ज है। गत
ख. नं. 622 मिन जा कि 8 बी. 18 बि.
क था. जिसके तीन टुकड़े किये गये
हाल ख. नं. 903 के गत खसरा नं.
676 मिन 5 बीघा 5 बिस्वा था,
जिसका रकबा 0.96. होकर 9 है। कुल
ख. नं. के साथ 17 बिस्वा रकबा जोड़ा
गया, तथा ख. नं. 622 4 बीघा 11 बिस्वा
मिन सेक्टर 2028 में गलत जोड़ा गया
क्योंकि हाल ख. नं. रकबा 71 एकर दर्ज
होना था, 2 एकर रकबा अधीनता
अद्वीर बिदे को के एक में जोड़ा गया।
इसलिए 17 बिस्वा रकबा 676 में गलत
रूप से जोड़ा गया तथा खसरा नं. 9

822 मिन 3 वीया 10 विखा गलन द्वा
 कर खवा है। अबके सही नं. 622 मिन
 है। उक्त सभी गलन 2028 ले तक
 2028 मे क्रिपे गये है। अतः हाल रिपोर्ट
 मे प्राथमिकी क्यू न। है ब्याप 57
 एपर दर्ज है जो काबिल कलमजन
 है।

प्राथी की बहम प्राथना-पत्र कुनी
 तथा प्राथना-पत्र मे वर्गित न्याय को
 मय रिपोर्ट अनुसार दोहराया गया।
 तदुत्तर मद्रव रिपोर्ट दिनांक 26/9/25
 का अवलोकन क्रिया गया जो पाया
 कि मुनाबिक रिपोर्ट एवं तदुत्तर
 मद्रव रिपोर्ट अनुसार विवादिन कारकी
 खतरा नं. 1833/0-32, 1836/0-25 वीठे
 प्राम बहमदी जिले संवत् 2028 के साबिक
 खतरा नं. 807 2 बी. 5 विखा से बन है। मिसल
 बन्धोवध संवत् 2028 के खानेकार डिगमर
 पुत्र नत्थी कि वर्तमान खानेकार प्राथी
 के पिता के नाम दर्ज रिपोर्ट है।
 संवत् 2028 मे दर्ज खतरा नं. 807 के
 साबिक खतरा नं. 322 रकवा 3 वी.
 10 विखा ले बना हुआ है। अबके
 संवत् 2028 ले पूर्व जमावंधी संवत्
 2010 के खाना संख्या 218 मे ख. नं. 822
 रकवा 2 बी. 5 विखा अंकित है। जो
 कि मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028 के
 हाल खतरा नं. 436 व यत खतरा
 नं. 322 के मिलान करता है अर्थात्
 मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028 के
 हाल कालम मे अंकित खतरा

मन्बर 807, 2 बीघा 5 बिस्वा गज कुलम
ख. नं. 322 रकवा 3 बीघा 10 बिस्वा
के ध्यान पर ख. नं. 622 रकवा 3
बीघा 10 बिस्वा अंकित होना चाहिए
था जो कि सर्वान ले ख. नं. 322
रकवा 3 बी. 10 बिस्वा अंकित हो गया।
इस प्रकार मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028
के हाल कुलम में अंकित ख. नं.
903 रकवा 3 बी. 16 बिस्वा के गज
ख. नं. 622 में रकवा 17 बिस्वा एवं
676 रकवा 5 बीघा 2 बिस्वा अंकित
है। अतः ख. नं. 903 रकवा 3 बीघा
16 बिस्वा ले संवत् 2060 में नवीन
ख. नं. 1336 रकवा 0.96 हेक्टे. बना
हुआ है जो कि सही मिलान करवा
है। इस प्रकार संवत् 2028 के मिलान
क्षेत्रफल में अंकित ख. नं. 903 के
गज खसरा नं. 622 रकवा 17 बिस्वा
के हाल खसरा नं. 807 के साथ
समायाजित किया जाना चाहिए। वादीगण
के पिता डिगम्बर सिंह पुत्र नन्धी. आर.
सहित सहना द्वारा इन्त भूमि परिये
वादीगण वयनामा मूल ख. नं. 622
रकवा 8 बी. 16 बिस्वा में ले 1/2 हिस्सा
कृत किया था. जिसके मुताबिक वादीगण
हाल में मौके पर 0.71 हेक्टे. भूमि
पर काबिज करवा है। इन्त ख. नं. 622 का
शेष 1/2 हिस्सा अन्वीर बुंदा बज. हाल
कृत किया था जो हाल अमाबंदी
ख. नं. 1334/0.43, 1335/0.30 कुल रकवा

0.73 हेक्टर काबिज कब्जा है। ख. नं. 1134, 1135 मुलाबिक मिलाज क्षेत्रफल खेत 2060 के खसरा नं. 806 के निर्मित हुए है। इस प्रकार ख. संबंध खेत 2028 में हुए कृतिपूर्ण अंकनों में शुद्ध कर प्राप्ति को 0.57 हेक्टर के स्थान पर 0.71 हेक्टर की खालेडारी दिया जाना उचित है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार प्राप्ति का प्राप्ति-पत्र स्वीकार किया जाकर ख. नं. 622 रकवा 4 बी. 9 बिस्वा मुलाबिक वयनामा दिनांक 30.08.1971 प्राप्ति का हाल रिकॉर्ड में 57 एकर रकवा को शुद्ध किया जाकर 71 एकर शुद्ध किया जाता है तथा खेत 2028 के ख. नं. 322 मिन 3 बीघा 10 बिस्वा को शुद्ध कर 622 दर्ज किया जावे तथा विगत खसरा नं. 622 मिन 17 बिस्वा धन, 622 मिन 4 बी. 11 बिस्वा में ~~2~~ 2 बिस्वा रकवा कम किया जावे एवं खसरा नं. 322 मिन 3 बीघा 11 बिस्वा को शुद्ध किया जाकर 622 मिन क्षेत्रफल शुद्ध किया जाता है। तदुपलक्ष्य नदर में आदेशित किया जाता है कि मुलाबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में ठांकन किया जावे।

पत्रावली प्रकृत अमा. होकर नम्बर ले कम की जाकर दायित्व दफ्तर के